संख्या- 25/2016/1263/57-2025-57-1099/12/2022

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/संयुक्त निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 27 मई, 2025**

विषय:- कैलास मानसरोवर यात्रा भवन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के संचालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-40/ध0का0नि0/2025-26, दिनांक 21.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के संचालन हेतु कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन में साफ-सफाई, आवासन एवं खान-पान तथा विद्युत आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 1,35,47,949.48/-(जी0एस0टी0 सहित) आगणन संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के संचालन हेतु कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन में साफ-सफाई, आवासन एवं खान-पान तथा विद्युत आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 1,35,47,949.48/-(जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में पूर्णांकित धनराशि रू0 45,15,983/- (रूपये पैतालिस लाख पन्द्रह हजार नौ सौ तिरासी मात्र) अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाये, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए न किया जाए एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जाए।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक पूर्णरूपेण कर लिया जाए। यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित कर दिया जाए।

(4) वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक/संयुक्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, लखनऊ द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार, वाराणसी/लखनऊ से किया जा सकेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 45,15,983/- (रूपये पैतालिस लाख पन्द्रह हजार नौ सौ तिरासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-084 लेखा शीर्षक-2250001010500 कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन गाजियाबाद के संचालन हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-25/2016/1263/57-2025-57-1099/12/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ/वाराणसी/गाजियाबाद।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0, इकाई गाजियाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ/गाजियाबाद।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
7-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।